



156

न्यायालय श्रीमान् अध्यक्ष महोदय राजस्व मंडल भोपाल म०प्र०

प्रकरण क्रमांक

/2015

निग 372-11-16

नफीस खाँ आ. श्री भूरे खाँ आयु वयस्क
निवासी ग्राम काजीखेड़ी तहसील आष्टा
जिला सीहोर म०प्र०

.....निगरानीकर्ता

विरुद्ध

.....रेस्पॉण्डेंट

43-
1A अन्तर्गत म.प्र.भू.सं. 1959
धारा 52 के अन्तर्गत 23/11/15 के
प्रकरण

म०प्र० शासन

निगरानी अंतर्गत धारा 50 म.प्र.भू.सं. 1959 विरुद्ध आदेश
दिनांक 03/11/2014 प्रकरण क्रमांक 05/अपील/14-15 पारित
द्वारा श्रीमान् अनुविभागीय अधिकारी महोदय आष्टा तहसील
आष्टा जिला सीहोर म०प्र०

आहुत किये जाने वाले प्रकरण

01. प्रकरण क्रमांक 43/अ-16/13-14 आदेश दिनांक 29/09/2014 पारित द्वारा श्रीमान् तहसीलदार महोदय आष्टा जिला सीहोर म०प्र०
02. प्रकरण क्रमांक 05/अपील/14-15 आदेश दिनांक 03/11/2014 पारित द्वारा श्रीमान् अनुविभागीय अधिकारी महोदय, आष्टा तहसील आष्टा जिला सीहोर म०प्र०

श्रीमान् जी,

अपीलार्थी आदेश दिनांक 03/11/2014 प्रकरण क्रमांक 5/अपील/14-15 से प्रभावित एवं दूषी होकर निम्न विधिक आधारों पर उचित समय सीमा में अपील प्रस्तुत करता है:-

तथ्य

01. यह कि श्रीमान् तहसीलदार महोदय द्वारा प्रकरण क्रमांक 43/अ-16/13-14 पंजीबद्ध कर श्रीमान् के द्वारा पारित न्यायालयीन आदेश के अर्थदण्ड की वसूली हेतु जिसके विरुद्ध अपील श्रीमान् ए.डी.एम. महोदय के समक्ष लंबित अवस्था में है के होने के बावजूद भी प्रकरण क्रमांक 43/अ-16/3-14 पंजीबद्ध किया गया इसके विरुद्ध दिनांक 10/09/2014 के द्वारा पारित आदेश से परिवेदित होकर म.प्र.भू.सं. 1959 के तहत धारा 51 के साथ धारा 52 म.प्र. शासक पत्र के प्रस्तुत किया गया जिसे दिनांक 29/09/2014 को प्रस्तुत किया गया वैधानिक दस्त पर उसे रिकार्ड पर नहीं लिया जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पुर्नसिद्धांत आवेदन पत्र निरस्त किया गया जिसको चुनौती देते हुये माननीय अधीनस्थ न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी

निरंतर पेज 2 पर

अधीनस्थ
कार्यालय कमिश्नर
भोपाल संभाग, भोपाल

अधीनस्थ
के द्वारा
21-11-16

प्रमाण पत्र

✓

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश-ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक. R. 372 एवं 376/11/16 जिला सीधर

स्थान तथा दिनांक	नफ़ीस खां कार्यवाही तथा आदेश मण्डल शासन	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
9-3-16	<p>यह निगली अनुविभागीय अधिकारी शाखा जिला सीधर के शं.प्र.क. 4 एवं 5/शा.मि. 14-15 में पारित आदेश दिनांक 3-11-14 के विकृत प्रस्तुत की गई है।</p> <p>उक्त में आवेदक (अधीनस्थ) श्री शं. एस. लाल के इस प्रस्तुत तर्कों पर विचार किया गया तथा निगली मेमो में अंशों तथा अवलोकन किया गया एवं प्रश्नाधीन आदेश का भी परीक्षण किया गया।</p> <p>प्रश्नाधीन आदेश के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि अधीनस्थ - पायालय द्वारा उक्त में ऐसा कोई आदेश पारित नहीं किया गया है जिससे किसी भी पक्ष के तथा आवेदक के हित प्रभावित हुए होने की वर्तमान में कोई सम्भावना हो। अधीनस्थ - पायालय द्वारा अपने आक्षेपित आदेश से मात्र अधीनस्थ - पायालय का अभिलेख बिलोय डान (रिकार्ड तबल) कासे के आदेश दिए गए हैं।</p> <p>ऐसी स्थिति में उक्त में शाहजरा का प्रथम दृष्टया कोई पर्याप्त एवं समुचित आधार होने से यह निगली उक्त आदेश किया जा रहा है। पक्षकार स्थिति है। प्र. नं. 10 है।</p>	<p style="text-align: center;">[Signature]</p> <p style="text-align: center;">सदस्य</p>